

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 252 / 09

संस्थित दि.: 20 / 05 / 09

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

अर्जुनदास पिता बाबूदास मानिकपुरी, उम्र 38 साल,
साकिन ग्राम कर्मा थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 03/09/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 29/03/2009 को 04:00 बजे स्थान भिलाईखार के आगे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अन्तर्गत लोकगार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं अजय, त्रिलोचन को उपहति कारित की तथा राजाराम, राजीव, बनमाली इन्दरसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी त्रिलोचन सिंह ने दिनांक 29.03.2009 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 29.03.2009 को उसके साथी इन्दरसिंह, बनमाली बैगा, राजाराम गोंड, अजय कुमार राजीव के साथ कान्हा से एक सफेद रंग की बुलेरो वाहन क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 से घुमकर वापस घर जा रहा था। बुलेरो वाहन को बिलासपुर में रहने वाला व्यक्ति चला रहा था। ग्राम चिलाई खार के आगे मोड़ पर गाड़ी चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पेड़ को टक्कर

मार दी, जिससे इन्दरसिंह पिता चमरू बैगा एवं बनमाली पिता रवनू बैगा की मृत्यु हो गई एवं दुर्घटना में राजाराम गोंड, राजीव जायसवाल, अजय कुमार को भी चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में अपराध क्रमांक 17/09 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एवं. मोटरयान अधिनियम की धारा 134, 184 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आरोपी से वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134, 184 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304—ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 29/03/2009 को 04:00 बजे स्थान भिलाईखार के आगे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अन्तर्गत लोकगार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी. 10/एफ.4662 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा कर अजय, त्रिलोचन को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा कर राजाराम, राजीव, बनमाली इन्द्रसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी त्रिलोचन सिंह (अ.सा.01) का कहना है कि वह घटना दिनांक 29.03.2009 को कान्हा से लम्हनी परिक्षेत्र जा रहे थे। वाहन क्रमांक सी.जी.4662 को आरोपी चला रहा था। आरोपी ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी। वाहन पलटने से इन्द्रसिंह व बनमाली की मृत्यु हो गई थी। राजाराम, राजू जैसवाल घायन हो गये थे और उसे चोट आई थी। रिपोर्ट उसने गढ़ी थाने पर की थी जो प्रदर्श पी-01 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(08) अभियोजन साक्षी बी.पी.दुबे (अ.सा.11) का कहना है कि अपराध क्रमांक 17/09 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा त्रिलोचनसिंह की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-14 है। घटनास्थल से वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। बनमाली और इन्द्रसिंह का शव परीक्षण फार्म भरकर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। साक्षी राजकुमार, बोदनसिंह, सुरेश, बडेकुंवर, उज्जैनसिंह, त्रिलोचनसिंह, अजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी से बुलेरों वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनाम प्रदर्श पी-11 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12 बनाया था एवं अभियोजन साक्षी अजय कुमार (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना दिनांक 29.03.2009 की है। वह बुलेरों गाड़ी से कान्हा आये थे और वापस जा रहे थे। गढ़ी के आगे भिलाई खार के पार आरोपी अर्जुनदास ने दो महिलाओं को बचाने के लिये बुलेरों वाहन को तेज रफ्तार में काट दिया, जिससे वाहन पेड़ से टकरा गया और इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई। राजाराम और राजू जैसवाल वाहन में से फिका गये थे। आरोपी वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। उसे मना किया था। घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(09) अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी गढ़ी के आगे की तीन-चार बजे के शाम की है। लोगों ने उसे बताया कि बुलेरों चालक वाहन को बहुत तेजगति से वाहन को चला रहा था। वाहन में चार-पांच लोग बैठे थे। दुर्घटना बुलेरों गाड़ी के चालक की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये एवं अभियोजन साक्षी उज्जैनसिंह (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना 29 मार्च की है। गढ़ी थाने के पांच किलोमीटर आगे लगभग 02:00 बजे बुलेरों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी आरोपी अर्जुनदास चला रहा था। एक्सीडेंट में इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई थी एवं राजाराम और राजू को चोट आई थी। अजय ने उसे बताया था कि दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये एवं अभियोजन साक्षी बोधनसिंह (अ.सा.05)

का भी कहना है कि घटना वर्ष 2009 की दिन के दो-तीन बजे की है। कान्हा से वह लम्हनी जा रहे थे। अजय ने फोन करके बताया कि वापस आ जाओ। वह वापस आये तो चार व्यक्ति रोड पर पड़े हुये थे। अजय और त्रिलोचन को भी चोट आई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी ने वाहन क्रमांक 4662 को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई और राजू और राजाराम को गम्भीर चोट आई। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

(10) अभियोजन साक्षी सुरेश कुमार (अ.सा.06) का कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे उज्जैनसिंह ने फोन करके बताया कि पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एवं अभियोजन साक्षी बड़ेकुवर (अ.सा.07) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन-चार वर्ष पुरानी हैं आरोपी बुलेरों वाहन चला रहा था। वह पहुंच गये थे। वापस आये तो दो व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी थी। दो व्यक्ति को अस्पताल ले गये थे तथा अभियोजन साक्षी धरमलाल (अ.सा. 08), युसूफअली (अ.सा.10) का कहना है कि उनके सामने कोई गाड़ी जप्त नहीं हुई। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है।

(11) अभियोजन साक्षी डॉ.आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.09) का कहना है कि दिनांक 29.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में उसने आहत अजय का मेडिकल परीक्षण किया मेडिकल परीक्षण में उसने आहत अजय के दाहिने कंधे पर 2X1 इंच चमड़ी तक गहरी खरौंच एवं चेहरे पर 1X1 इंच चमड़ी तक गहरी खरौंच सख्त एवं बोथरी वस्तु से छः घंटे के अन्दर की अवधि में आना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(12) दिनांक 29.03.2009 को ही उसके द्वारा आहत त्रिलोचनसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में उसने आहत त्रिलोचन सिंह के बांये हाथ में कटा हुआ घाव 1X1 इंच चमड़ी तक गहरा, खून जमा हुआ, दाहिने कान के बाहरी

भाग पर 1/2X1/2 इंच का कटा फटा घाव 6 घन्टे की अवधि के अन्दर का सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मृतक राजाराम का शव परीक्षण किया गया था। बाह्य परीक्षण में मृतक की कनपटी के दाहिने भाग टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना पाया एवं मुंह के दाहिने टेम्पोरल बोन में भी अस्थिभंग होना पाया। आन्तरिक परीक्षण में खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, दाहिनी टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग नहीं होना पाया। मृत्यु का कारण सिर में आई टेम्पोरल हड्डी में चोट आने से 24 घन्टे की अन्दर अवधि की होना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(13) दिनांक 29.03.2009 को उसके द्वारा मृतक बनमाली का शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण में उसने मृतक बनमाली के सिर के दाहिने टेम्पोरल भाग पर 4X2 इंच की मूंदी चोट, दाहिने आंख के उपर 1/2X1/2 इंच का कटाफटा घाव, बांये कंधे पर 2X2 इंच की मूंदी हुई सिर के दाहिने क्लेविकल भाग पर मूंदी हुई सिर के दाहिने टेम्पोरल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया। दाहिने क्लेविकल बोन में अस्थिभंग होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में सिर के टेम्पोरल भाग में अस्थिभंग होना पाया। सिर की झिल्ली एवं मस्तिष्क में रक्त जमा होना पाया। दाहिना फेफड़ा यकृत और दाहिना गुर्दा फटा हुआ था। मृतक की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्त्राव पेट के भीतर के वाईटल आर्गन के फटने के कारण हुई। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(14) दिनांक 29.03.2009 को ही उसके द्वारा राजू का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में उसने मृतक राजू की गर्दन के उपर ढायी गुणा ढायी इंच का कटा-फटा घाव एवं सिर के दाहिनी कनपटी पर दाहिनी आंख के उपर चोटे आना पायी थी। आन्तरिक परीक्षण में झिल्ली छुटी-बड़ी, आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय व बाहरी इन्द्रीया स्वस्थ एवं पीली थी। मृतक की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्त्राव

गर्दन की मेजर वैस लैस आन्तरिक व बाह्यरी केरेटोड के कटने के कारण 24 घन्टे के अन्दर की अवधि की होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है।

(15) दिनांक 29.03.2009 को ही उसके द्वारा इन्दरसिंह का शव परीक्षण किया था, जिसमें उसने इन्दरसिंह के सिर के दाहिने भाग पर टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना पाया था। दाहिने कान के अन्दर खून बह रहा था। पेट के उपर 2X2 इंच भाग में कटा-फटा घाव होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना व सिर की झिल्ली में रक्त होना पाया था। मृतक की मृत्यु का कारण दाहिनी टेम्पोरल हड्डी में चोट आने के कारण होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है।

(16) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और असत्य कथन किये हैं, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी बड़ेकुंवर (अ.सा.07), सुरेश (अ.सा.06) एवं जप्ती पंचनामा के साक्षी धरमलाल (अ.सा.08), युसूफअली (अ.सा.10) ने नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(17) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(18) अभियोजन साक्षी/फरियादी त्रिलोचन सिंह (अ.सा.01) का स्पष्ट कहना है कि वह घटना दिनांक 29.03.2009 को कान्हा से लम्हनी परिक्षेत्र जा रहे थे। वाहन क्रमांक सी.जी.4662 को आरोपी चला रहा था। आरोपी ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी। वाहन पलटने से इन्दरसिंह व बनवाली की मृत्यु हो गई थी। राजाराम, राजू जैसवाल घायन हो गये थे और उसे चोट आई थी। रिपोर्ट उसने गढ़ी थाने पर की थी जो प्रदर्श पी-01 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है,

जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी बी.पी.दुबे (अ.सा.11) का स्पष्ट कहना है कि अपराध क्रमांक 17/09 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा त्रिलोचनसिंह की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-14 है। घटनास्थल से वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी. 10/एफ.4662 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। बनमाली और इन्दरसिंह का शव परीक्षण फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। साक्षी राजकुमार, बोदनसिंह, सुरेश, बडेकुंवर, उज्जैनसिंह, त्रिलोचनसिंह, अजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी से बुलेरो वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनाम प्रदर्श पी-11 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-12 बनाया था।

(20) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अजय कुमार (अ.सा.02) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 29.03.2009 की है। वह बुलेरो गाड़ी से कान्हा आये थे और वापस जा रहे थे। गढ़ी के आगे भिलाई खार के पार आरोपी अर्जुनदास ने दो महिलाओं को बचाने के लिये बुलेरो वाहन को तेज रफ्तार में काट दिया, जिससे वाहन पेड़ से टकरा गया और इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई। राजाराम और राजू जैसवाल वाहन में से फिका गये थे। आरोपी वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। उसे मना किया था। घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी गढ़ी के आगे की तीन-चार बजे के शाम की है। लोगों ने उसे बताया कि बुलेरो चालक वाहन को बहुत तेजगति से वाहन को चला रहा था। वाहन में चार-पांच लोग

बैठे थे। दुर्घटना बुलेरों गाड़ी के चालक की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(22) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी उज्जैनसिंह (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना 29 मार्च की है। गढ़ी थाने के पांच किलोमीटर आगे लगभग 02:00 बजे बुलेरों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी आरोपी अर्जुनदास चला रहा था। एक्सीडेंट में इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई थी एवं राजाराम और राजू को चोट आई थी। अजय ने उसे बताया था कि दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(23) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी बोधनसिंह (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना वर्ष 2009 की दिन के दो-तीन बजे की है। कान्हा से वह लम्हनी जा रहे थे। अजय ने फोन करके बताया कि वापस आ जाओं। वह वापस आये तो चार व्यक्ति रोड पर पड़े हुये थे। अजय और त्रिलोचन को भी चोट आई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी ने वाहन क्रमांक 4662 को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे इन्दरसिंह और बनवाली की मृत्यु हो गई और राजू और राजाराम को गम्भीर चोट आई। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

(24) अभियोजन साक्षी डॉ.आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.09) का भी स्पष्ट कहना है कि दिनांक 29.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में उसने आहत अजय का मेडिकल परीक्षण किया मेडिकल परीक्षण में उसने आहत अजय के दाहिने कंधे पर 2X1 इंच चमड़ी तक गहरी खरौंच एवं चेहरे पर 1X1 इंच चमड़ी तक गहरी खरौंच सख्त एवं बोथरी वस्तु से छः घंटे के अन्दर की अवधि में आना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(25) दिनांक 29.03.2009 को उसके द्वारा आहत त्रिलोचनसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में उसने आहत त्रिलोचन सिंह के बांये हाथ में कटा हुआ घाव 1X1 इंच चमड़ी तक गहरा, खून जमा हुआ, दाहिने कान के बाहरी भाग पर 1/2X1/2 इंच का कटा फटा घाव 6 घन्टे की अवधि के अन्दर का सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मृतक राजाराम का शव परीक्षण किया गया था। बाह्य परीक्षण में मृतक की कनपटी के दाहिने भाग टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना पाया एवं मुंह के दाहिने टेम्पोरल बोन में भी अस्थिभंग होना पाया। आन्तरिक परीक्षण में खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, दाहिनी टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग नहीं होना पाया। मृत्यु का कारण सिर में आई टेम्पोरल हड्डी में चोट आने से 24 घन्टे की अन्दर अवधि की होना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(26) दिनांक 29.03.2009 को उसके द्वारा मृतक बनमाली का शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण में उसने मृतक बनमाली के सिर के दाहिने टेम्पोरल भाग पर 4X2 इंच की मूंदी चोट, दाहिने आंख के उपर 1/2X1/2 इंच का कटाफटा घाव, बांये कंधे पर 2X2 इंच की मूंदी हुई सिर के दाहिने क्लेविकल भाग पर मूंदी हुई सिर के दाहिने टेम्पोरल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया। दाहिने क्लेविकल बोन में अस्थिभंग होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में सिर के टेम्पोरल भाग में अस्थिभंग होना पाया। सिर की झिल्ली एवं मस्तिष्क में रक्त जमा होना पाया। दाहिना फेफड़ा यकृत का लोब और दाहिना गुर्दा फटा हुआ था। मृतक की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्त्राव पेट के भीतर के वाईटल आर्गन के फटने के कारण हुई। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(27) दिनांक 29.03.2009 को उसके द्वारा राजू का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में उसने मृतक राजू की गर्दन के उपर ढायी गुणा ढायी इंच का

कटा-फटा घाव एवं सिर के दाहिनी कनपटी पर दाहिनी आंख के उपर चोटे आना पायी थी। आन्तरिक परीक्षण में झिल्ली छुटी-बड़ी, आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय व बाहरी इन्द्रिया स्वस्थ एवं पीली थी। मृतक की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्त्राव गर्दन की मेजर वैस लैस आन्तरिक व बाहरी केरेटोड के कटने के कारण 24 घन्टे के अन्दर की अवधि की होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है।

(28) दिनांक 29.03.2009 को उसके द्वारा इन्दरसिंह का शव परीक्षण किया था, जिसमें उसने इन्दरसिंह के सिर के दाहिने भाग पर टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना पाया था। दाहिने कान के अन्दर खून बह रहा था। पेट के उपर 2X2 इंच भाग में कटा-फटा घाव होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग होना व सिर की झिल्ली में रक्त होना पाया था। मृतक की मृत्यु का कारण दाहिनी टेम्पोरल हड्डी में चोट आने के कारण होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है।

(29) आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि घटना के समय आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी की गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी और आरोपी सामान्य गति से वाहन चला रहा था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने स्पष्ट कथन किये हैं कि आरोपी बुलेंगे वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। आरोपी को मना किया था आरोपी ने तेज रफ्तार में वाहन को काट दिया था, जिससे दुर्घटना हुई। आरोपी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया और असत्य कथन किये हैं। इस संबंध में भी आरोपी के अधिवक्ता ने भी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये, जिससे यह प्रकट होता हो कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर असत्य कथन किये

है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। जप्ती के गवाह ने भी जप्ती पत्रक पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और साक्षी बड़ेकुंवर (अ.सा.07), सुरेश (अ.सा.06) के कथनों से भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद माना जाये।

(30) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 29/03/2009 को 04:00 बजे स्थान भिलाईखार के आगे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अन्तर्गत लोकगार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक सी.जी.10/एफ.4662 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं अजय, त्रिलोचन को उपहति कारित की तथा राजाराम, राजीव, बनमाली इन्द्रसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(31) परिणाम स्वरूप आरोपी अर्जुनदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304ए के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(32) प्रकरण में आरोपी अर्जुनदास पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(33) आरोपी अर्जुनदास को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(34) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च :-

- (35) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी अर्जुनदास एवं आरोपी अर्जुनदास के अधिवक्ता को सुना गया।
- (36) आरोपी अर्जुनदास के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी अर्जुनदास का यह प्रथम अपराध है। आरोपी अर्जुनदास की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी अर्जुनदास मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति है। यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी अर्जुनदास को कम से कम अर्धदण्ड से दण्डित किया जावे।
- (37) आरोपी अर्जुनदास के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (38) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (39) आरोपी अर्जुनदास की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी अर्जुनदास द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अर्जुनदास को कम से कम अर्धदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी अर्जुनदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के आरोप में दण्डित न करते हुए उनके गुरुत्तर अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी अर्जुनदास को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।
- (40) आरोपी अर्जुनदास द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र. सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- (41) प्रकरण में जप्तशुदा बुलेटों वाहन क्रमांक सी.जी.10/एफ 4662 मय

दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(42) निर्णय की एक प्रति आरोपी अर्जुनदास को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)